भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4790

28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

यूनानी चिकित्सा के लिए अनुसंधान और विकास

4790. श्री कल्याण बनर्जी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूनानी चिकित्सा के लिए पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान तथा बजट 2025-26 में अनुसंधान और विकास हेतु आवंटित निधि का संस्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकारी अस्पतालों के विशेष संदर्भ में यूनानी चिकित्सा को मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा में एकीकृत करने के उद्देश्य से चल रही पहलों की राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यूनानी चिकित्सा और 'आयुष' अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके क्या परिणाम रहे हैं?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): विगत पांच वित्तीय वर्षों (वर्ष 2020-21 से 2024-25) के दौरान और बजट 2025-26 में आयुष मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकायों, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम) और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (एनआईयूएम) को आवंटित धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ में)

संस्थान	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष-2022-23	वित्तीय वर्ष-2023-24	वित्तीय वर्ष-2024-25	वित्तीय वर्ष-2025-26
सीसीआरयूएम	164.05	157.73	175.05	174.10	197.05	214.50
एनआईयूएम	173.75	183.22	99.59	98.30	106.85	110.40

इसके अलावा, विगत पांच वित्तीय वर्षों और प्रस्तावित बजट 2025-26 के दौरान यूनानी चिकित्सा में अनुसंधान और विकास के लिए सीसीआरयूएम द्वारा संस्थान-वार आवंटित धनराशि का विवरण **संलग्नक** पर दिया गया है।

(ख): यूनानी सहित आयुष पद्धतियों को आधुनिक चिकित्सा के साथ जोड़ने के लिए आयुष मंत्रालय अनेक पहलें कर रहा है जैसे:

i. आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एंड एफडब्ल्यू) द्वारा स्थापित स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के तहत आयुष वर्टिकल, आयुष-विशिष्ट जन-स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए एक समर्पित संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह वर्टिकल जन-स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखभाल, आयुष शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए रणनीति विकसित करने में दोनों मंत्रालयों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

ii. डीजीएचएस के तहत आयुष वर्टिकल ने सामान्य मस्कुलोस्केलेटल विकारों, इसकी रोकथाम और प्रबंधन पर यूनानी पद्धति सहित आयुष पद्धतियों के माध्यम से मानक उपचार दिशानिर्देश (एसटीजी) प्रकाशित किए हैं। आयुष चिकित्सकों की क्षमता बढाने के लिए, आयुष वर्टिकल ने इन विकसित एसटीजी पर सभी राज्यों में

केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो (सीएचईबी) के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर का मास्टर प्रशिक्षण आयोजित किया है, ताकि अंतिम उपयोगकर्ताओं तक उनका प्रभावी ढंग से प्रसार सुनिश्चित किया जा सके।

iii. आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एंड एफडब्ल्यू) ने एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अस्पतालों में संयुक्त रूप से एकीकृत आयुष विभागों की स्थापना की है। इस पहल के हिस्से के रूप में, एकीकृत चिकित्सा विभाग की स्थापना की गई है और इसका वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज तथा सफदरजंग अस्पताल एवं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली में परिचालन किया जा रहा है।

iv. भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना की कार्यनीति अपनाई है ताकि रोगियों को एक ही स्थान पर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का विकल्प उपलब्ध हो सके। आयुष चिकित्सकों/पैरामेडिक्स की नियुक्ति तथा उनके प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सहायता दी जाती है, जबकि आयुष बुनियादी ढांचे, उपकरण/फर्नीचर तथा औषधियों के लिए सहायता राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत आयुष मंत्रालय द्वारा साझा जिम्मेदारियों के रूप में प्रदान की जाती है।

v. देश में यूनानी चिकित्सा को स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की मुख्यधारा में शामिल करने की दृष्टि से, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम), डॉ. राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल, नई दिल्ली; दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल, नई दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली; आयुष आरोग्य केंद्र, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली, जमशेदजी जीजीभॉय (जेजे) अस्पताल, मुम्बई तथा कन्नूर, केरल स्थित यूनानी विस्तार अनुसंधान केन्द्र के पुनर्वास/विस्तार केन्द्रों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान कर रही है ताकि लोगों को सुलभ और सस्ती यूनानी उपचार सुविधा उपलब्ध हो सके।

(ग): आयुष मंत्रालय ने आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की केंद्रीय क्षेत्र योजना विकसित की है। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय, आयुष उत्पादों एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय आयुष औषधि विनिर्माताओं/आयुष सेवा प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है; आयुष चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवर्धन, विकास तथा मान्यता दिलाने में मदद देता है; हितधारकों के बीच बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष के बाजार विकास को बढ़ावा देता है; विदेशों में आयुष अकादमिक पीठों की स्थापना के माध्यम से शिक्षाविदों और अनुसंधान को बढ़ावा देता है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनानी सहित आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूकता एवं रुचि बढ़ाने और उसे सदृढ़ करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित करता है।

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने यूनानी सहित पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए 24 देश-दर-देश स्तर के समझौता ज्ञापनों और 51 संस्थान-दर-संस्थान स्तर के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

सीसीआरयूएम ने यूनानी चिकित्सा के संवर्धन और अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं:

i. स्कूल ऑफ नेचुरल मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न केप, दक्षिण अफ्रीका
ii. विभिन्न वैज्ञानिक और शैक्षिक सहयोग के लिए हमदर्द विश्वविद्यालय, बांग्लादेश में एक अकादमिक यूनानी पीठ की स्थापना।
iii. एविसेना ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, दुशांबे, ताजिकिस्तान के साथ यूनानी चिकित्सा में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन।
iv. तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, ईरान

जून, 2012 से फरवरी, 2016 तक की अवधि के लिए दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप विश्वविद्यालय में यूनानी पीठ के रूप में एक विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई। बांग्लादेश के हमदर्द विश्वविद्यालय में यूनानी पीठ की स्थापना की गई है। एविसेना ताजिकिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताजिकिस्तान और तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, ईरान के साथ विशेषज्ञता का आदान-प्रदान किया गया।

*****

संलग्नक

पिछले पांच वित्तीय वर्षों और बजट 2025-26 के दौरान यूनानी चिकित्सा में अनुसंधान और विकास के लिए सीसीआरयूएम द्वारा आवंटित धनराशि का संस्थान-वार विवरण

(हजारों रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (अनुमानित)	2025-26 (प्रस्तावित)
1	**आंध्र प्रदेश**						
	(i) सीआरयू, कुरनूल	9699	10579	3373	16432	24040	26490
2.	**असम (एनईआर)**						
	(i) आरआरसी, सिलचर	3762	4882	2909	16120	56850	35650
3	**बिहार**						
	(i) आरआरआईयूएम, पटना	41947	38554	30484	36531	52550	63800
4.	**गोवा**						
	(i) नैदानिक अनुसंधान इकाई, रिबांदर, गोवा	-	-	-	-	-	5000
5	**जम्मू-कश्मीर**						
	(i) आरआरआईयूएम, श्रीनगर	72656	110739	106090	117789	125675	147750
6.	**कर्नाटक**						
	(i) सीआरयू बेंगलुरू	9888	9897	2821	13336	19325	21225
7.	**केरल**						
	(i) सीआरयू, अलवे	7101	10262	911	9285	16325	19125
	मध्य प्रदेश						
8.	(i) सीआरयू, बुरहानपुर	13261	8009	2828	13058	21045	22990
	(ii) सीआरयू, भोपाल	14307	20625	4684	23214	18975	20725
9.	**महाराष्ट्र**						
	(i) आरआरआईयूएम, मुंबई	39608	49077	40124	80232	63425	65700
10.	**मणिपुर (एनईआर)**						
	(i) नैदानिक पायलट प्रोजेक्ट	-		201	-	5000	5000
11	**नई दिल्ली**						
	(i) एचएकेआईएलएचआरयूएम	29127	32066	5400	24735	40275	44975
	(ii) आरआरआईयूएम, नई दिल्ली	101462	94172	90313	101913	575577	262350
	(iii) एचक्यूआरएस, नई दिल्ली	795583	646825	1018189	702666	534185	575220
	(iv) डीएसआरयू, नई दिल्ली	15789	15677	2181	14376	19075	20775
12.	**ओडिशा**						
	(i) आरआरआईयूएम, भद्रक	42850	55732	37205	38922	55825	70650
13.	**तमिलनाडु**						
	(i) आरआरआईयूएम, चेन्नई	73611	91418	78075	97885	106975	118450
14.	**तेलंगाना**						
	(i) एनआरआईयूएमएसडी, हैदराबाद	152276	180623	174762	228238	227430	287150
15.	**उत्तर प्रदेश**						
	(i) डीएसआरआई, गाजियाबाद	23145	21304	4347	40777	32975	34775
	(ii) सीआरआईयूएम, लखनऊ	91133	97230	90471	88613	112325	109600

क्र.सं.	राज्य का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (अनुमानित)	2025-26 (प्रस्तावित)
	(iii) आरआरसी, इलाहाबाद	20299	16831	4274	16261	30750	33300
	(iv) आरआरआईयूएम, अलीगढ़	56105	59666	61106	64271	80350	85350
	(v) सीआरयू, मेरठ	23155	16322	4344	13346	27275	28225
16	**पश्चिमी बंगाल**						
	(i) आरआरआईयूएम, कोलकाता/हावड़ा	20126	19608	3825	18659	34275	40725
	कुल	**1656890**	**1610098**	**1768887**	**1776659**	**2280500**	**2145000**

संक्षिप्तकी:

सीआरयू: नैदानिक अनुसंधान इकाई

एनईआर: पूर्वोत्तर क्षेत्र

आरआरआईयूएम: क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान

एचएकेआईएलएचआरयूएम: हकीम अजमल खान यूनानी चिकित्सा साहित्यिक एवं ऐतिहासिक अनुसंधान संस्थान

डीएसआरयू: औषधि मानकीकरण अनुसंधान इकाई

एनआरआईयूएमएसडी: राष्ट्रीय त्वचा विकार यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान

डीएसआरआई: औषधि मानकीकरण अनुसंधान संस्थान

सीआरआईयूएम: केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान

आरआरसी: क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र